न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 41/2017 G.C.M.S. No. 2017/00192 दर्ज दिनांक : 19.05.2017

अपीलार्थी:

1. सोहनलाल पुत्र कपुराराम, उम्र 50 वर्ष, जाति सवल ब्राह्मण, निवासी बोरड़ी, तहसील रानी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. शेषमल पुत्र कपुराराम, जाति सवल ब्राह्मण, निवासी बोरड़ी, तहसील रानी व जिला पाली।
2. तहसीलदार रानी, पाली (राज्य सरकार की ओर से भूमिधारी)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 15ए/2015 बअनवान शेषमल बनाम सोहन वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.07.2016 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री दौलत मकवाणा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दिव्यप्रकाश द्विवेदी, श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 15ए/2015 बअनवान शेषमल बनाम सोहन वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 वादी ने एक वाद धारा 53, 89, 188 इस आशय का विरूद्ध प्रतिवादी अपीलाट प्रस्तुत किया कि ग्राम बोरड़ी के खसरा न. 344 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै. मु. बेरा, खसरा नम्बर 345 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बाड़ा, खसरा नं. 346 रकबा 4.55 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, जाव अव्वल कुल खसरा न: 3 कुल रकबा 4.60 हैक्टेयर लगान 135.29 रूपये की सहखातेदारी कृषि भूमि वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त कब्जाकाश्त की विद्यमान है। जमाबंदी संवत् 2071 2074 अनुरूप वादी को 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 की 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रेकर्ड है व काबिज काश्त है। उक्त वादग्रस्त भूमि के बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा कराने हेतू एवं विवादित भूमि की सीमाओं एवं सीमाकन किया जाकर अलग मार्ट कायम कर अलग बंट का कब्जा सुपर्द किया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतू निवेदन किया तथा विवादित भूमि का बंटवाड़ा, भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता, मूल्य का देखते हुये किया जावें एवं आवागमन हेतू रास्ता नियत किया जावें। उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी अपीलांट को सम्मन जारी किये, जिसमें प्रतिवादी को कोई सम्मन, नोटिस प्राप्त नहीं हुये। ना ही लोक अदालत के नोटिस प्राप्त हुये। दिनांक 02.07.2015 को ग्राम जीवन्तकलां में प्रतिवादी अपीलांट को सुनवाई का बिना नोटिस दिये उसकी उपस्थिति दर्ज करते हुये वादग्रस्त भूमि के सम्बध में बंटवाड़ा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश की प्रति तहसीलदार रानी को पालना हेतु प्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया तथा तहसीलदार रानी को अलग–अलग बंटवाड़ा एवं लगान, व अलग–अलग रकबा किया जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव का नजरी नक्शा भिजवाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 02.07.2015 की पालना में तहसीलदार रानी द्वारा अपीलांट को बंटवाड़ा किये जाने की कार्यवाही हेतु एवं वादग्रस्त भूमि को बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स बंटवाड़ा किये जाने हेतु कोई नोटिस देकर मौके पर तलब नहीं किया, ना ही अपीलांट से प्रस्तावित बंटवाड़ा का नक्शा प्राप्त किया। ना ही तहसीलदार रानी द्वारा कोई कार्यवाही की गई। इस प्रकार तहसीलदार रानी द्वारा प्राथमिक बंटवाड़ा की डिक्री की कोई पालना विधि अनुसार नहीं की गई, ना ही बंटवाड़ा रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार रानी द्वारा प्रस्तुत की गई। न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.06.2016 तक निरंतर जारी रही। तत्पश्चात् राजस्व कैम्प में दिनांक 11.06.2016 को नायब तहसीलदार खिवाड़ा को बंटवाड़ा रिपोर्ट पेश किये जाने हेतु फोलोअप कैम्प में दिनांक 07.07.2016 को पेश किये जाने का आदेश दिया गया। उक्त पत्रावली के अवलोकन मात्र से प्रकट है कि दिनांक 17.07.2016 को हल्का पटवारी जीवन्तकलां व नायब तहसीलदार खिवाड़ा ने फॉलोअप कैम्प में ही नक्शा बनाकर वाद पत्रावली पर वादग्रस्त भूमि के पक्षकारों को बिना मौके पर तलब किये एवं उनसे प्रस्तावित बंटवारा का नक्शा बिना प्राप्त किये एवं भूमि की सीमाओं की पैमाईश किये बिना एक टेबल वर्क करते हुये नक्शा दिनांक 7.07.2016 तैयार किया। उक्त नक्शे पर दिनांक 07.07.2016 को ही वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में अंतिम निर्णय आदेशिका में ही पारित करते हुए पत्रावली फैसल शुमार की गई, तथा उक्त पत्रावली दिनांक 07.07.2016 को फोलोअप कैम्प सोमेसर में पक्षकारों को बिना तलब किये 07.07.2016 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 18.04.2017 को तब हुई जब रेस्पोंडेन्ट भूमि दलालों को वादग्रस्त भूमि को निर्णय की पालना में बेचाण करने हेतु विवादित भूमि पर भूमाफियाओं लोगों को भिजवाये

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाने एवं भू दलालों द्वारा अपीलाधीन पत्रावली की आदेशों की नकलें बतायें जाने पर अपीलान्ट को अपीलाधीन वाद में पारित आदेशों की जानकारी होने पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.07.2016 के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है—

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2016 को निर्णित व अंतिम डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध प्रतिवादी अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 27.04.2017 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 18.04.2017 को तब हुई जब रेस्पोंडेन्ट भूमि दलालों को वादग्रस्त भूमि को निर्णय की पालना में बेचाण करने हेतु विवादित भूमि पर भूमाफियाओं लोगों को भिजवाये जाने एवं भू दलालों द्वारा अपीलाधीन पत्रावली की आदेशों की नकलें बतायें जाने पर अपीलान्ट को अपीलाधीन वाद में पारित आदेशों की जानकारी होने पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.07.2015 के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वादपत्र में प्रथमदृष्टया पक्षकारों को तलब किए बिना एवं साक्ष्य लिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से कैम्प सोमेसर में पारित की गई हैं। अतः प्रकरण में विधिक व प्रक्रियात्मक रूप से सारवान प्रश्न विद्यमान है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णयन आवश्यक है, न कि महज प्रक्रियात्मक आधार पर। साथ ही प्रकरण में विलंब अपीलांट की लापरवाही से होना साबित नहीं हैं। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 39/2017 बअनवान सोहनलाल बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

शेषमल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2026 द्वारा अपील मंजूर करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.07.2015 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। हस्तगत अपील इसी प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 07.07.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अंतिम डिक्री विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित की गई हैं तथा विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के आधार पर तैयार किया गया तथा प्राथमिक डिक्री न्यायालय हाजा से अपास्त की जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि प्राथमिक डिक्री से पश्चातवर्ती कार्यवाही यथा नामांतरण, विभाजन प्रस्ताव व अंतिम डिक्री आच्छादित होते हैं। अतः प्राथमिक डिक्री अपास्त हो जाने से उक्त समस्त पश्चातवर्ती कार्यवाही स्वतः अपास्त हो चुकी हैं।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव संबंधित पटवारी व नायब तहसीलदार द्वारा तैयार कर तहसीलदार को संबोधित पत्र द्वारा तहसीलदार रानी को प्रस्तुत किया गया। जिसे तहसीलदार रानी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर न तो पक्षकारान के हस्ताक्षर है एवं न ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को उपस्थिति बाबत सूचित किए जाने का कोई उल्लेख है। अतः स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं तैयार नहीं कर अपने अधीनस्थ कार्मिकों से तैयार करवाया गया। न्यायालय डिक्री से विभाजन के प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संबंधित तहसीलदार द्वारा समस्त सहखातेदारान को मौके पर उपस्थिति हेतु दिनांक व समय निर्धारित करते हुए, सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर विभाजन प्रस्ताव विहित प्रारूप में मय नजरी नक्शा तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करना आज्ञापक है। तहसीलदार उक्त कर्तव्य किसी भी दशा में अपने अधीनस्थ कार्मिकों को प्रत्यायोजित करने के लिए कानूनन सक्षम नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण में उक्त आज्ञापक विधिक प्रावधानों का पूर्णतया उल्लंघन हुआ है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी इस पर गौर किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भूल की हैं। जो त्रुटिपूर्ण होने से पुष्टियोग्य नहीं हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 15ए/2015 बअनवान शेषमल बनाम सोहन वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.07.2016 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विधिवत प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरांत इसकी अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 व 21 विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए वादपत्र विधि अनुरूप पुनः निर्णित व डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.06.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर रानी में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली